
Providing information of RTI-377 under RTI act-2005.

From : MAHAVIR SINGH <msingh@dfcc.co.in>
Subject : Providing information of RTI-377 under RTI act-2005.
To : SusantaKumar Panda <skpanda@dfcc.co.in>
Cc : Ashish Srivastava <ashishsrivastava@dfcc.co.in>, Anil Kalra <cgmmtc@dfcc.co.in>

Sat, Mar 26, 2022 04:09 PM

1 attachment

Sir,
Please find attached herewith a letter related to subject matter.

Regards,
(Mahavir Singh)
Dy.Project Manager (Elect.)/PIO
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.
Office: 3rd Floor, Balaji Complex, Opp-Subharti University
NH-58 Bypass, Meerut-250002
Mob. No. 9456797644, 7055576660

— Letter to CPIO (RTI-377).-1(1).pdf
127 KB



पत्रांक-एम0टी0सी0/ई0एन0/आर0टी0आई0/मेरठ/वोल्यूम-8

दिनांक: 17.03.2022


जेजीएम/एडमिन (सीपीआईओ),
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0,
कार्पोरेट ऑफिस, न्यू दिल्ली।

विषय:- जनसूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अर्न्तगत सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- कार्पोरेट ऑफिस का पत्रांक: 2022/एच0क्यू0/एडमिन/आर0टी0आई0-377 दिनांक 10.03.2022.

उपरोक्त संदर्भित पत्र में आवेदनकर्ता विनीत बंसल, बंसल किराना/मिल बाजार सकौती, टांडा मेरठ, जिला मेरठ पिन कोड- 250223 द्वारा जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निम्नवत सूचना चाही गयी है:-

| क्र0 सं0 | चाही गयी सूचना | उपलब्ध करायी जा रही सूचना |
|----------|--|---|
| 1 | Sir hmare parchun ki shop h sakoti mill bazar m. edfc project m railway le rhe h hmare shop ki jameen or ve log bta rhe h ki ye jagah commercial nhe h. sir hmari shop b chali jaygi or rojgar b, compensation b bht kam de rhe h 4650/gaj ka 4 guna. | सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित अभिनिर्णय 01/2021 के अनुसार अर्जित भूमि को व्यवसायिक न मान कर आवासीय माना गया है जिसके अनुसार प्रतिकर धनराशि के निर्धारण हेतु 4638 प्रति वर्गमी0 बाजार मूल्य के रूप में निर्धारित किया गया। जिस पर भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 26(2) की उपधारा (1) व धारा 30(1) तथा धारा 30(3क) की उपधारा (1) के प्राविधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिकर निर्धारित किया गया है। |
| 2 | Sir edfc project ki line aane k bad sakoti sugar mill jane k liye road h jisne aadhe road ko choda ker rhe h kevel or usme hmare shop h, sir agar sadak chodi na kre kyuki edfc ki line aane k bad b same road h (road ki chodai same h) agar kevel 1 ya 2 miter sadak chodi kre to hmari shop bach jaygi or jitna compensation de rhe usme sakoti m kahi b jameen nhe aaygi, sir compensation ki jagah kya hume jameen mil sakti h. compensation ka rate b hume nhe pta chal ra h sir hum to is tarah se ujad jayege. Please help us sir. | <ul style="list-style-type: none"> जिलाधिकारी महोदय, मेरठ के पत्रांक सं0- 190/सात-डी0एल0आर0सी0/2021 दिनांक- 04.06.2021 के अनुसार उप जिलाधिकारी महोदय, सरधना की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अपनी आख्या दिनांक- 11.06.2021 के आधार पर चीनी मिल सकौती को जाने वाले रास्ते को चौड़ा करने हेतु भूमि का अधिग्रहण किये जाने का निर्देश प्राप्त हुआ, जिसके क्रम में अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। डी0एफ0सी0 परियोजना हेतु अधिग्रहित की जा रही निजी भूमि के बदले अन्य स्थान पर भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में कोई प्राविधान नहीं है। |


उप.परियोजना प्रबन्धक/विद्युत
उप.जनसूचना अधिकारी
डीएफसीसीआई0एल, मेरठ।